

फारम - 2
नियम 18(1) द्रष्टव्य
जारी किया गया
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या : 220

दिनांक : 22.6.09

मैल्स कॉशल कंपनी कंसल्टेशन प्रा. लि., फा. रू. ट्रेड सेंटर,
क्यू. रोड, बिस्नुपुर, जमशेदपुर को

झारखण्ड सरकार, रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर।

ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 की उपधारा (2) और तदधीन बनी नियमावली के अधीन इसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र 400 (चार शं) कामगारों के नियोजन के लिए मंजूर किया जाता है।

(क) स्थापना में किये जानेवाले कार्य का स्वरूप :- विभिन्न कंसल्टेशन कार्य ।

(ख) स्थापना में किये जानेवाले :-

ठेकेदारों के नाम	कार्य का स्वरूप	हरेक ठेकेदारों के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किये जानेवाले ठेका मजदूर की अधिकतम संख्या ।	ठेका मजदूरी नियोजन के संबंध में अन्य व्यौरें ।
सत्यनंद एवम् पुता	जिसमें ठेका मजदूर नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे ।		

1.

2.

3.

4.

आवश्यकानुसार

22-6-09
रजिस्ट्रीकर्ता पदाधिकारी
ठेका मजदूर (वि० एवं उ०)
अधिनियम, 1970
रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
हस्ताक्षर एवं मुहर